फर्द अहकाम

नय ________________________________

[illegible] बनाम सरकार

संख्या / वर्ष 230/20 [illegible] ____________ / 20 ____________

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
21/6/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप० वकील प्रार्थी ने प्रार्थी स्व० हरिनारायण की मृत्यु हो जाने से वारिसान आवेदन पत्र पेश किया। पत्रावली वास्ते प्रस्तुति कागजात व कार्यवाही हेतु पेश होवे। दिनांक 21/8/24 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	प्रार्थी स्व० हरिनारायण की मृत्यु हो चुकी है Reader [signature] 21/6/24
21/8/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप० वास्ते पेश होने कागजात [illegible] नियत 22/8/24 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	
22/8/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप० [illegible] कागजात की कार्यवाही पूर्ण की गई [illegible] वकील प्रार्थी [illegible] किया जाता है [illegible] शामिल [illegible] से [illegible] पत्रावली [illegible] पत्रावली [illegible] से [illegible] दाखिल दफ्तर होवे। [signature] उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.06 16:03:16 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र : 230/2020
निर्णय दिनांक : 22.08.2024

1. बिरदीचन्द
2. हरिनारायण
3. लक्ष्मीनारायण
4. गोपाल
   पुत्रान् स्व0 श्री रामनाथ
5. श्रीमती रामप्यारी पत्नी स्व0 भौरीलाल
6. शिवशंकर
7. कैलाश
8. ओमप्रकाश
9. विष्णु
10. गिर्राज

पुत्रान् स्व0 श्री भौरीलाल
जातियान हरियाणा ब्राहम्ण निवासीयान सैक्टर 3, प्रताप नगर, टोंक रोड, बम्बाला तह0 सांगानेर जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

प्रतिवादी

दावा बाबत् रिकार्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

वादीगण की ओर से पेश वाद का विवरण इस प्रकार है कि वादीगण की हाल आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 74 रकबा 0.27 हैक्टयर, खसरा नम्बर 75 रकबा 0.10 हैक्टयर, खसरा नम्बर 82 रकबा 0.49 हैक्टयर, खसरा नम्बर 83 रकबा 0.16 हैक्टयर, खसरा नम्बर 84 रकबा 0.37 हैक्टयर, खसरा नम्बर 85 रकबा 0.17 हैक्टयर, खसरा नम्बर 86 रकबा 0.04 हैक्टयर, खसरा नम्बर 87 रकबा 0.20 हैक्टयर, खसरा नम्बर 88 रकबा 0.36 हैक्टयर, खसरा नम्बर 89 रकबा 0.26 हैक्टयर, खसरा नम्बर 90 रकबा 0.01 हैक्टयर, खसरा नम्बर 91 रकबा 0.07 हैक्टयर, खसरा नम्बर 96 रकबा 0.16 हैक्टयर, खसरा नम्बर 97 रकबा 0.41 हैक्टयर, खसरा नम्बर 99 रकबा [illegible] हैक्टयर, खसरा नम्बर 108 रकबा 0.04 हैक्टयर, खसरा नम्बर 113 रकबा 0.35 हैक्टयर, खसरा नम्बर 114 रकबा 0.35 हैक्टयर, खसरा नम्बर 211 रकबा [illegible] हैक्टयर, खसरा नम्बर 491/1137 रकबा 0.07 हैक्टयर, खसरा नम्बर 53[illegible] रकबा 0.1 हैक्टयर, खसरा नम्बर 593 रकबा 0.09 हैक्टयर कुल किता 22 कुल रकबा 5.23 हैक्टयर ग्राम बम्बाला, पटवार हल्का श्योपुर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर मे स्थित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.06 16:03:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

वादीगण के उक्त हाल खसरा नम्बर के गत खसरा नम्बर 243 रकबा 15 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 83 रकबा 0.16 हैक्टयर व खसरा नम्बर 86 रकबा 0.04 हैक्टयर बने, गत खसरा नम्बर 239/640 रकबा 4 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 90 रकबा 0. 01 हैक्टयर, खसरा नम्बर 87 रकबा 0.04 हैक्टयर बने एवं गत खसरा नम्बर 239 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 85 रकबा 0.17 हैक्टयर, खसरा नम्बर 87 रकबा 0.16 हैक्टयर, खसरा नम्बर 88 रकबा 36 हैक्टयर बने है। भू–प्रबन्ध कार्यवाही से पूर्व से ही वादीगण ने गत खसरा नम्बर 239, 239/640, 243 से बने हाल खसरा नम्बर 86 रकबा 0.04 हैक्टयर, खसरा नम्बर 87 रकबा 20 हैक्टयर है जिसमे अपने मकानात बना रखे थे तथा उक्त भूमि आवासीय उपयोग मे चली आ रही थी वादीगण के हक पूर्वाधिकारी ने सब सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी सांगानेर जयपुर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 20–03–87 के द्वारा उक्त खसरा नम्बर 86 रकबा 0.04 हैक्टयर, खसरा नम्बर 87 रकबा 20 हैक्टयर को आबादी मे दर्ज किये जाने के आदेश फरमा दिये। उक्त आदेश के अनुसार उक्त खसरा नम्बरान को खतोनी बन्दोबस्त मे आबादी अंकित कर दिया गया। दौराने भू–प्रबन्ध कार्यवाही भू–प्रबन्ध अधिकारियों व कर्मचारियों ने अपनी अधिकारिता से बाहर उक्त उक्त खसरा नम्बर 86 रकबा 0.04 हैक्टयर की किस्म चाही 1 व जाव । एवं खसरा नम्बर 87 रकबा 20 हैक्टयर की किस्म चाही 1 व जाब 1 दर्ज कर दिया गया जिसका भू–प्रबन्ध अधिकारियों व कर्मचारियों को कोई अधिकार हांसिल नही था। वादीगण द्वारा जब हाल राजस्व रिकार्ड की नकल दिनांक 7/9/2020 को प्राप्त की तब वादीगण को उक्त तथ्य की जानकारी हुई जिस पर वादीगण ने प्रतिवादी तहसीलदार तहसील सांगानेर को उक्त दुरूस्ती करने बाबत निवेदन किया जिस पर उन्होंने हिदायत दी इसके लिए आपको सक्षम न्यायालय मे कार्यवाही करने होगी इस कारण वादीगण को यह वाद पत्र श्रीमान् न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। दौराने भू–प्रबन्ध कार्यवाही भू–प्रबन्ध अधिकारियों व कर्मचारियों को राईट्स आफ रिकार्ड मे फेरबदल करने का कोई कानूनी अधिकार हांसिल नही हैं। इसलिए वादीगण अधिकारी हैं कि वह माननीय न्यायालय के जरिये उक्त हाल उक्त खसरा नम्बर 86 रकबा 0.04 हैक्टयर, खसरा नम्बर 87 रकबा 20 हैक्टयर मे पुनः आबादी दर्ज करवा कर रिकार्ड दुरूस्ती करवाने का अधिकारी है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि वाद पत्र को निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे :–

क. प्रतिवादी को आदेश फरमाया जावे कि वादीगण के हाल खसरा नम्बर 86 रकबा 0.04 हैक्टयर, खसरा नम्बर 87 रकबा 20 हैक्टयर की किस्म पुनः आबादी दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्ती की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.06 16:03:16 IST
Reason: SelfAttested

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को रजिस्टर नोटिस जारी किये गये। पत्रावली पेश हुई। उभयपक्षकारान उपस्थित। प्रतिवादी तहसीलदार सांगानेर ने वाद में जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो पत्रावली में शामिल मिसल है। तहसीलदार सांगानेर ने पेश जवाब में अंकित किया कि मुताबिक वर्तमान

उपखण्ड अधिकारी

राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत 2074–77 (वर्ष 2019) के खाता संख्या 109 खसरा नंबर 86,87 वगैरह किता 22 रकबा 5.23 हैक्टेयर की खातेदारी विष्णु, ओमप्रकाश, गिर्राज शिवशंकर पि. गौरीलाल, रामप्यारी देवी पत्नी गौरीलाल हिस्सा 1/6, गोपाल, बिरदीचंद, लक्ष्मीनारायण , हरिनारायण पि. रामनाथ हिस्सा 2/3 रामनाथ पु. महादेव हिस्सा 1/6 जाति हरि.ब्रा.सा.देह के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। बिंदु संख्या 2 मुताबिक मिलन क्षेत्रफल सही है। वर्तमान खसरा नंबर 86 रकबा 0.04 हैक्ट. किस्म चाही 1/0.02, जाव 1/0.02 एवं खसरा न. 87 रकबा 0.20 हैक्ट. किस्म चाही 1/0.16 जाव 1/0.04 के मौके पर लगभग 40 वर्षों से मकानात बने हुए है । खातेदार परिवार सहित निवास कर रहे है। मुताबिक पर्चा खतौनी के कॉलम 2 में खसरा न.86 व 87 के नीचे आबादी अंकित है। श्रीमान ए.एस.ओ. साब के आदेश दिनांक 20–03–1987 के निर्णय में उक्त खसरा नंबरान 86/0.04 87 / 0.20 को गैर मुमकिन आबादी में दर्ज करने के आदेश है।

पत्रावली में बहस वादीगण अधिवक्ता सुनी गई। दौराने बहस वादीगण अधिवक्ता ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं अंत में निवेदन किया कि प्रतिवादी को आदेश फरमाया जावे के वादीगण ग्राम बम्बाला, पटवार हल्का श्योपुर तह० सांगानेर में स्थित हाल खसरा नम्बर 86 रकबा 0.04 हैक्टेयर व 87 रकबा 0.20 हैक्टेयर की किस्म पुनः आबादी दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्ती की जावे।

बहस वादीगण, प्रतिवादी तहसीलदार सांगानेर एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर वादीगण की ओर से पेश वाद स्वीकार किया जाकर तहसीलादार सांगानेर को आदेश दिये जाते है कि ग्राम बम्बाला, पटवार हल्का श्योपुर तह० सांगानेर में स्थित हाल खसरा नम्बर 86 रकबा 0.04 हैक्टेयर व 87 रकबा 0.20 हैक्टेयर की किस्म चाही 1 व जाव 1 की जगह आबादी दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22.08.2024 को सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर – द्वितीय (साँगानेर),
जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.06 16:03:16 IST
Reason: SelfAttested